पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 18/2010/अपील

भगवानाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी नाईण्डा वाली तन ग्राम मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपरु जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. गणपत पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ढाणी नाईण्डा वाली तन ग्राम मिलकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. पेमाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी ढाणी नाईण्डा वाली तन ग्राम मिलकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 644 दिनांक 15.01.2010 वाके ग्राम मलिकपुर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

वकील रेस्पोडेंट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिया

निर्णय **दिनांकः—22.10.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 826 व 871 कुल किता 2 कुल रकबा 3.96 हैक्टर तन ग्राम मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 1 व 2 की पैतृक संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है, जिनकी खातेदारी अपीलाण्ट व रेस्पो0 के पिता लालाराम की मृत्यु के बाद जरिये नामान्तकरण सं0 242 विरासत दिनांक 22.07.2010 से अपीलाण्ट व रेस्पो0 के हक मे दर्ज करदी गयी उसके बाद रेस्पो0 सं0 1 ने अपने हक मे लालाराम द्वारा वसीयत करना बताते हुए उक्त वसीयत के आधार पर अपने हक में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु एक आवेदन पत्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 11.01.2010 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 826, 871 तन ग्राम मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी रेस्पो0 सं0 1 के नाम स्वीकार करने की आज्ञा पारित कर दी। जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 644 दिनांक 15.01.2010 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी रेस्पो0 सं0 1 अकेले के हक में दर्ज करदी गयी। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अपनी आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट व रिकॉर्डेड खातेदार रेस्पो0 सं0 02 पेमाराम को कोई नोटिस व सूचना नही दी गई। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 826 व 871 कुल किता 2 कुल रकबा 3.96 हैक्टर तन ग्राम मलिकपुर अपीलाण्ट रेस्पो0 की पैतृक कब्जे व काश्त की भूमि है, जिसके संबंध मे न तो अपीलाण्ट व रेस्पो0 के पिता को वसीयत करवाने का काई कानूनी अधिकार था और न मृतक लालाराम ने दिनांक 17.05.1996 को या कभी कोई वसीयत तस्दीक करवाई और रेस्पो0 सं0 01 न अपीलाण्ट व रेस्पो0 के पिता लाला राम से धोखे से वसीयत करवाई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 01.06.2001 के विरूद्ध न्यायायल अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो भी दिनांक 03.10.2002 को खारिज कर दी गयी, जिसमें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त न विवादित आराजियात को लालाराम की पैतृक भूमि मानी है व लालाराम की स्वअर्जित भूमि नही मानी है। इस प्रकार लालाराम को पैतृक भूमि की वसीयत करने को निरस्त करने का दावा सिविल न्यायालय मे जैर तजबीज था जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश(क0,ख0) श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 21.11.2009 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (फास्ट ट्रेक) कम संख्या 02 सीकर मुख्यालय श्रीमाधोपुर में दिनांक 09.12.2009 को अपील प्रस्तुत करदी जो जैर तजबीज है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट व रेस्पो का कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है व रेस्पो0 सं0 1 अकेले का कोई कब्जा नही है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने कब्जे संबंधी कोई जांच किए बिना ही अपनी आज्ञा जैर अपील पारित करने मे कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील दिनांक 11.01.2010 व उसके आधार पर भरा गया नामांतकरण संख्या 644 दिनांक 15.01.2010 निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में तस्दीक किया हुआ है। अपीलाधीन नामांतकरण के सम्बंध में न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 में अंकित किया हुआ है कि "राजस्व ग्राम मलिकपुर के नामांतकरण संख्या 242 को माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा आंशिक खसरा नम्बर 826 व 871 किता 2 कुल रकबा 3.96 है0 तक खारिज किया गया है एवं मृतक लालाराम द्वारा की गई वसीयतानुसार भूमि खसरा नम्बर 826 व 871 किता 2 कुल रकबा 3.96 है0 तन ग्राम मलिकपुर को मृतक लालाराम के पुत्र गणपतराम के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत की गई है, जिसे सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) श्रीमाधोपुर द्वारा भी वैध करार दिया है। अतः भूमि खसरा नम्बर 826 व 871 किता 2 कुल रकबा 3.96 है0 तन ग्राम मलिकपुर का नामांतकरण वसीयतानुसार गणपतराम पुत्र लालाराम जाति जाट के पक्ष में दर्ज कर स्वीकृत करावे।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में वाद/अपील विचाराधीन होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। चूंकि अपीलाधीन नामांतकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 में वर्णित तथ्यों एवं वादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर एवं न्यायालय सिविल न्यायाधिश कनिष्ठ खण्ड श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा आदेश पारित करने के आधार पर तस्दीक किया हुआ है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर एवं न्यायालय सिविल न्यायाधिश कनिष्ठ खण्ड श्रीमाधोपुर के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में विस्तृत व्याख्या एवं साक्ष्य सबूत के आधार पर पारित आदेश की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2010 के आधार पर तस्दीक किये गये अपीलाधीन नामांतकरण में किस प्रकार की दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy Not Official